राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )पराविं/प्रशा./प्रप्रअ/रिक्त पद प्रस्ताव/04/3138 जयपुर,दिनांकः 21.8.18

आदेश

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के श्री मदन चन्द स्वामी, पर्यवेक्षक प्रथम, संभाग कार्यालय (खादी), जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर की सेवाये विपरीत प्रतिनियुक्ति पर पंचायती राज के अधिनस्थ प्रगति प्रसार अधिकारी के पद ली जाकर इन्हे पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ में प्रगति प्रसार अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है।

इनकी प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहेगी :-

1. प्रतिनियुक्ति अवधि में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
2. वेतन भत्ते वहीं होगे जो पैतृक संस्था द्वारा स्वीकृत है। जिस पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा।
3. अवकाश लाभ पैतृक विभाग के नियमो के अनुसार ही देय होगा।
4. चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधाऐं पैतृक संस्था के अनुसार ही देय होगी परन्तु राज्य कर्मचारियों को देय सुविधा से अधिक लाभप्रद नहीं होगी।
5. उपार्जित अवकाश पैतृक संस्था द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा आकस्मिक अवकाश प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग द्वारा स्वीकार किया जा सकेगी।
6. प्रतिनियुक्ति में सी.पी.एफ. में नियमानुसार अंशदान प्रतिनियुक्ति लेने वाले कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
7. कार्मिक की अधिवार्षिकी आयु से 3 माह पूर्व उपरोक्त प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाकर कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटा दिया जायेगा।
8. सभी सेवानिवृत्ति लाभो का भुगतान पैतृक संस्था के नियमो के अनुसार पैतृक संस्था द्वारा किया जायेगा।
9. यदि पैतृक संस्था में छटनी या स्वेच्छिक सेवानिवृति लागू की जाती है तो ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटाना होगा। जिससे संस्था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे अथवा छंटनी कर सकेगी।
10. यदि पैतृक संस्था को बंद/समाप्त किया जाता है तो प्रतिनियुक्त कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटा दिया जायेगा।
11. यह प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने से संबंधित विभागो द्वारा कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने अथवा एक वर्ष के लिए, जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(मोहम्मद अबूबक्र)
उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 837 दिनांक 26.07.2018 के क्रम में प्रेषित कर लेख है उक्त कार्मिक को पदस्थापित स्थान से तत्काल कार्यमुक्त करवाकर कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी, संभाग कार्यालय (खादी), जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर
6. मुख्य/अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ।
8. श्री मदन चन्द स्वामी, पर्यवेक्षक प्रथम, संभाग कार्यालय (खादी), जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली

उप सचिव एवं उपायुक्त